(328)

—अति आवश्यक—

प्रशासन शहरों के संग अभियान 2010

राजस्थान सरकार

नगरीय विकास विभाग

क्रमांक:प.3(25)नविवि/3/06 जयपुर, दिनांक: 25.01.2010

आदेश

जयपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर विकास प्राधिकरण, राजस्थान आवासन मण्डल, समस्त नगर सुधार न्यास, समस्त नगर निगम/परिषद/पालिका के द्वारा [illegible] ई.डब्ल्यू.एस. तथा एल.आई.जी एवं मध्यम आय वर्ग के मकान निर्मित कर [illegible] मासिक किश्तों पर आवंटित किये गये है। राज्य सरकार के ध्यान में आया है कि [illegible] प्रकार के आवंटियों में से कई आवंटियों द्वारा समय पर मासिक किश्तों का भुगतान नहीं किये जाने के कारण जहां एक ओर आवंटियों पर ब्याज बढ़ रहा है वहीं दूसरी ओर बकाया राशि भी निरन्तर बढ़ती जा रही है।

अतः आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग व अल्प आय वर्ग तथा मध्यम आय वर्ग के [illegible] के आवंटियों को "प्रशासन शहरों के संग अभियान–2010" के दौरान राहत [illegible] करवाने हेतु ब्याज व शास्ति के संबंध में दिनांक 31.3.2010 तक निम्नानुसार [illegible] की जाती है–

(1) ई.डब्ल्यू.एस. तथा एल.आई.जी. आवासों के लिए–

(1) अब तक की बकाया राशि एक साथ जमा करवाने पर ब्याज/शास्ती में 60 प्रतिशत छूट।

(2) अब तक की बकाया व भविष्य की शेष किस्तों का एक साथ भुगतान करने पर ब्याज/शास्ति की सम्पूर्ण छूट।

(2) मध्यम आय वर्ग के आवासों के लिए–

(1) अब तक की बकाया राशि एक साथ जमा करवाने पर ब्याज/शास्ती में 40 प्रतिशत छूट।

(2) अब तक की बकाया व भविष्य की शेष किस्तों का एक साथ भुगतान करने पर ब्याज/शास्ति की सम्पूर्ण छूट।

(गुरदयाल सिंह संधु)

प्रमुख शासन सचिव